बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

पत्रांकः—15/अ0प्र0—09—18/2025 7946 (अनु.) पटना, दिनांक 22.7.25
प्रेषक,

कुमार अनिल सिन्हा
संयुक्त सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,
निबंधित/ई—मेल सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा/सभी नोडल पदाधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्राप्त होने वाले लंबित सूचनावेदनों का निष्पादन के संबंध में।

प्रसंगः— वाद संख्या ए—1747/23 श्री संतोष कुमार, पटना बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार—सह—अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया/लोक सूचना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा—02, पश्चिमी चम्पारण में माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 30.06.2025 को पारित आदेश ज्ञापांक—सी—3/1800 दिनांक 08.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबध में निदेशानुसार सूचित करना है कि माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा विभिन्न द्वितीय अपील वाद में पारित आदेश के आलोक मे ग्रामीण कार्य विभाग (मुख्यालय) संलग्न मुख्य अभियंता का कार्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों यथा कार्य अंचल/कार्य प्रमंडल, जांच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, जांच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लंबित आवेदनों को एक माह के अंदर निष्पादित करने हेतु विभाग को निदेशित किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु वाद सं0 ए—1747/23 में माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित न्यायादेश की छायाप्रति संलग्न है। इस विषय में पूर्व में भी कार्यालय पत्रांक 15/अ0प्र0—आर0टी0आई0—235/2020 — 2113 अनु० दिनांक 21.02.2025 द्वारा सभी लंबित सूचनावेदनों को 30 दिनों के अंदर निष्पादित करने हेतु निदेशित किया गया था।

अतः अनुरोध है कि अपने—अपने कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनवरी—2025 से जून—2025 तक प्राप्त सूचनावेदन प्रपत्र 'क' तथा प्रथम अपील आवेदन से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादंन 15 दिनों के अंदर करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

<u>अनुलग्नक—यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन

ह०/- 21/7/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः—15/अ0प्र0—09—18/2025 7946 पटना, दिनांक 22.7.25

प्रतिलिपि :— सभी संयुक्त सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकरी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 21/7/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः—15/अ0प्र0—09—18/2025 7946 पटना, दिनांक 22.7.25

प्रतिलिपिः— आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब पदाधिकारीयों के ई—मेल पते पर सूचना भेज दी जाय।

ह०/- 21/7/25
संयुक्त सचिव

राज्य सूचना आयोग
सूचना भवन, चौथा तल्ला, बेली रोड, बिहार, पटना–800015।
दूरभाष– 2215713, 2235059, 2200426 फैक्स–2235466, वेब–साईट: www.sic.bihar.gov.in

वाद संख्या–ए–1747/23

श्री संतोष कुमार, पटना।

बनाम्

प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल–बेतिया, पश्चिम चम्पारण–845438/ लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बगहा–2, पश्चिम चम्पारण–805438।

30.06.2025 अपीलार्थी, श्री संतोष कुमार उपस्थित हैं। लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–2 द्वारा प्राधिकृत श्री कौशिक आनंद, सहायक अभियंता उपस्थित हैं।

आवेदक द्वारा सूचना की मांग प्रपत्र–क में दिनांक 05.07.19 को की गयी थी। सूचना अप्राप्त रहने के कारण अपीलीय प्राधिकार के यहां प्रपत्र–छ में दिनांक 22.11.19 को प्रथम अपील एवं दिनांक 17.09.21 को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की गयी।

लोक सूचना पदाधिकारी का पत्रांक 427 दिनांक 27.06.25 अभिलेख में संलग्न है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने सूचित किया है कि–

'' (1) पत्रांक 50, दिनांक 05.09.2017 को सत्यापित प्रति, (2) PMGSY अंतर्गत चरगहवा से मुराडीह धुनियापट्टी से मुराडीह, भुआलपट्टी मोईन पर उच्च स्तरीय पुल, बासी नदी के बरवाघाट पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण से संबंधित पथ/पुल कार्य के मापी हेतु व्यवहृत मापी पुस्तिका की सत्यापित प्रति (3) सहायक अभियंता द्वारा ।। या अन्य मापी पुस्तिका में गलत मापी अंकित किये जाने पर की गयी कटौती के उपरांत कनीय अभियंता के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता या अन्य द्वारा की गयी अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यलय द्वारा पूर्व में पत्रांक 227 अनु०, दिनांक–23.03.2022 के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।

पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 417 अनु०, दिनांक 26.06.2025 से श्री संतोष कुमार, त्देन सहायक अभियंता के Email- kumar.santosh933@gmail.com पर दिनांक 27.06.205 को एवं भारतीय डाक से दिनांक 27.06.2025 के माध्यम से (1) पत्रांक 50, दिनांक 05.09.2017 को सत्यापित प्रति एवं (2) PMGSY अंतर्गत चरगहवा से मुराडीह धुनियापट्टी से मुराडीह, भुआलपट्टी मोईन पर उच्च स्तरीय पुल, बासी नदी के बरवाघाट पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण से संबंधित पथ/पुल कार्य के मापी हेतु व्यवहृत मापी पुस्तिका की सत्यापित प्रति पेज संख्या–01 से 246 तक इस कार्यालय से उपलब्ध करा दी गई है।''

अपीलार्थी के द्वारा भी मौखिक रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि उन्हें सूचना प्राप्त हो गयी है। परंतु यह सूचना छः वर्ष के विलंब से उपलब्ध करायी गयी है। इसके लिए तत्समय पदस्थापित लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–2, प० चंपारण दोषी प्रतीत होते हैं। उन्हें आयोग की कड़ी चेतावनी निर्गत की जाती है।

अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग आयोग की कड़ी चेतावनी तत्समय पदस्थापित लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–2, प० चंपारण को लिखित रूप से संसूचित करें। साथ ही वे अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को सख्त निर्देश लिखित रूप से निर्गत करें कि उनके सूचना प्रकोष्ठ में जितने भी सूचना के मांग के आवेदन लंबित है उनका निष्पादन वे अगले एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायें अन्यथा भविष्य में जो वर्तमान लोक सूचना पदाधिकारी हैं उनपर भी कार्रवाई की जा सकती है।

अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 24.06.25 एक आवेदन दिया गया जिसमें उन्होंने अपना नया पत्राचार का पता अंकित किया है। अतः कार्यालय अपीलार्थी द्वारा दिए गए पते पर पत्राचार करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

ह०/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
राज्य सूचना आयुक्त

ज्ञापांक–सी–3/1800 रा०सू०आ०   पटना, दिनांक–09/07/2025

प्रतिलिपि:–, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।/ प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल–बेतिया, पश्चिम चम्पारण–845438/ लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बगहा–2, पश्चिम चम्पारण–805438/ श्री संतोष कुमार, सहायक अभियन्ता (निलंबित), अभियन्ता प्रमुख का कार्यालय कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजन सहनी)
प्रशाखा पदाधिकारी